न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

विनोद कुमार बनाम रणजीत

किस्म मुकदमा RTA 223 मु. नं0 13 वर्ष 2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
1-2-22	अपील दर्ज रजिस्टर हो। कैवियटकर्ता के नोटिस जारी हो। वास्ते बहस स्थगन दिनांक 7.2.22 को पेश हो।	377 कैवियटकर्ता 1.2.22 के नोटिस जारी।
7.2.22	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज सांकेतिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 10.2.22 को पेश हो।	
10.2.22	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज सांकेतिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 14.2.22 को पेश हो	
14.2.22	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ..... प्रलंबित कार्य पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 15.2.22 सीकर को पेश हो।	
15.2.22	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा. पत्र प्रारम्भिक आपत्ति आदेश 107 जारी पर सुना गया। प्रा. पत्र आदेश 15 नियम 1 उपबन्ध आदेश 107 सी.पी.सी. पेश किया गया की गई। शामिल रहे बाकी प्रा. पत्र बहस प्रा. पत्र आदेश 15 नियम 1 आदेश 107 सी.पी.सी. दिनांक 16.2.22 को पेश हो।	
16.2.22	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब वकील दाखिल दफ्तर हो।	Not press

अधिकारी एवं